

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)
PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] नई दिल्ली, रविवार, मार्च 1, 1981/फाल्गुन 10, 1902
No. 75] NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 1, 1981 PHALGUNA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1981

सां०का०नि० 89 (अ) :—संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954
(1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति केन्द्रीय सरकार
से परामर्श के पश्चात् उस धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए
संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा), नियम 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाती है, जिनका नाम है सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, उक्त धारा की
उपधारा (4) की श्रेष्ठानुसार, अनुमोदन और गृहित कर दी गई है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) संशोधन नियम,
1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(347)

2. संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975 के नियम 3 में "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "एक हजार" शब्द रखे जायेंगे।

[क्र. सं. 2/1/एम एस ए/81]

अवतार सिंह, सचिव

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 1981

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) the Joint Committee constituted under sub-section (1) of that section, after consultation with the Central Government, hereby makes the following rules to amend the Members of Parliament (Additional Facilities) Rules, 1975, the same having been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States, and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of the said section namely :—

1. (1) These rules may be called the Members of Parliament (Additional Facilities) Amendment Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Members of Parliament (Additional Facilities) Rules, 1975 for the words "five hundred" the words "one thousand" shall be substituted.

[F. No. 2/1/MSA/81]

AVTAR SINGH RIKHY, Secy.